

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 67/22

तारीख दायर 12-4-22

प्रेषिति :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ..... 67/22 ..... प्रत्थरगढी बाबत।

रामलाल पिता छितरलाल जाति धाकड निवासी बिजौलियाँ खुर्द तहसील बिजौलियाँ जिला  
भीलवाड़ा (राज0) —प्रार्थी

बनाम

- 1- पन्नालाल पिता देवालाल जाति धाकड, उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
- 2- भवानीलाल पिता भैरूलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
- 3- भु-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0 —विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 रा0ले0रे0 एक्ट

—:आदेश:-

दिनांक

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री रामलाल धाकड ने जरिये अभिभाषक श्री सुनील बाकलीवाल प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि मौजा ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा, भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ खुर्द, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 110 आराजी नंबर 400 रकबा 0.5989 हैक्टेयर, आराजी नंबर 401 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.7608 हैक्टेयर भुमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा, भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ खुर्द, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 110 आराजी नंबर 400 रकबा 0.5989 हैक्टेयर, आराजी नंबर 401 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.7608 हैक्टेयर भुमि की बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि ..... /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ